(2018) 4 एस 0 सी0 आर 0 268

क. मध्य प्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण एंव अन्य

बनाम

बैकबोन एंटरप्राईजेज लिमिटेड एंव अन्य

ख. (दीवानी अपील संख्या 4011 सन 2018) अप्रेंल 18, 2018

(आदर्ष कुमार गोयल एंव आर.एफ. नरीमन न्यायमूर्तिगण)

मध्यप् प्रदेश मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम , 1983

सी0 सी0 मध्यस्थता कार्यवाही–

मध्यस्थता अधिकरण का क्षेत्राधिकार –निर्णित:

वा टैक मामला जिस पर विवादित आदेष को निर्भर किया गया था जब से निश्प्रभावित किया गया है तब से विवादित आदेष को निरस्त किया गया है और मामले को योग्ता के आधार पर तय करने के लिये मध्यस्थता अधिकरण को भेज दिया है। वा टैक एस्चर व्यास फ्लावेल लिमिटेड एम 0 पी0 एस 0 ई 0 बोर्ड एंव डी अन्य (2011) 13 एस 0 सी0 सी0 261 – निश्प्रभावित किया गया। निर्णय विधि निद्रेश (2011)13 एस 0 सी0 सी0 261 निश्प्रभावित किया गया अनुच्छेद द्वितीय दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 4011 सन ड. 2018 निर्णय एवं आदेष दिनंाक 29.11.2011 माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेष स्थित इंदौर रिट याचिका संख्या 7105 सन 2010 से

च. दीवानी अपील संख्या 4015 सन 2018 के साथ । सौरभ मिश्रा, एएजी , जुगल किषोर गिल्डा , पुरूषेंद्रा कुमार, महाधिवक्तागण , नमन नागरथ, नीरज किषन कौल, पराग त्रिपाठी, सुश्री किरन सूरी, वरिश्ठ अधिवक्तागण , हर्श पराषर , जुबिन प्रसाद , अमन पांडेय, जसदीप एस डिल्लन , प्रभात के0 चैरसिया, सुश्री रेनुका साहू, जेय सलवा, जी0 अमर वरूण, षान्तनु क्रिश्णा, सुश्री अनुसुया सालवान, ध्रुव मिश्रा, दिव्याषुं कुमार श्रीवास्तव , आकाष लांबा, विरेन सिबल, विवेकानन्दा बी, विकास सूद, अपूर्व कुरूप , सुश्री ईषा मित्तल, डा0 हर्श पाठक , सुश्री ष्वेता महाजन, मोहित चैबे, सिदार्थ षुक्ला , नीरज षेखर , अर्जुन गर्ग, मिश्रा सौरभ , स्रिधर पोटाराजु , सुधीर मिश्रा, प्रभात कुमार , सुश्री पटेल चंदोक , सुश्री अंकिता षर्मा , रिषभ, एच 268 मध्यप्रदेष ग्रामीण सडक विकास 269 प्राधिकरण बनाम बैकबोन एटरप्राईजेज लिमिटेड एम.आर.षमषाद, आदित्य समददर बी0 एस 0 बन्तिया , सुश्री स्वरूपमा ए चतुवेर्दी, सोरभ एस 0 सिन्हा , आदित्य देव त्रिगुना, सुनील सिंह परिहर , मैसर्स ए 0 पी0 एवं जे0 चेम्बर्स, प्रफुल्ल कुमार बहेडा , मनीश के0 भारद्वाज, एस 0 एस 0 नहरा , सुश्री अनुराधा मिश्रा, सुश्री वंषजा षुक्ला , वरूण मोहन, स्वास्तिक सिंह , मनीश यादव , सुश्री स्वरूपमा चतुवेदी वी0 एन 0 दूबे , सुश्री देविका गुलाटी हितेन्द्र नाथ रथ, मयंक षिरसागर , पावेष बी0 जोषी , चाबू अंबवानी (मैसर्स ए 0 पी0 एवं जे0 चेम्बर्स) बी0 के0 सतिजा , सुमित अत्री , के0 कृश्णा कुमार , हितन्द्र नाथ रथ, निलावा बन्दोपाध्याय, राहुल पाडेंय अधिवक्तागण एंव उपस्थित पक्षकार ।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेष पारित किया गया:–

आदेष:–

1–विलम्ब को क्षमा किया गया । अनुमति प्रदान की गई।

2–इस न्यायालय के पारित किये गये निर्णय वा टैक एस्चर व्यास फ्लोवेल लिमिटेड बनाम एम 0 पी0 एस 0 ई 0 बोर्ड एवं अन्य (2011) 13 एस 0 सी0 सी0 261, जो कि निश्प्रभावित किया गया और उच्च न्यायालय ने सी0 आर 0 संख्या 353 सन 2004 महेष चन्द्र गर्ग बनाम मध्य प्रदेष सरकार एवं अन्य पर भरोसा किया है जो कि दिनंाक 23.02.2010 को तय किया और जो वा टैक (उपरोक्त) पर आधारित था, विवादित आदेष को रदद किया जाता है और मामले को एम 0 पी0 मध्यस्थता अधिकरण को भेजा जाता है ताकि अधिकरण मामले को योगता के आधार पर विधिनुसार तय कर सके।

3–अपीलो का निस्तारण किया जाता है।

4–पक्षकार अधिकरण के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु दिनंाक 9 जुलाई 2018 को पेष हो सकते है।

5–अपीलकर्ता इस आदेष की एक प्रति उत्तरदाता को तामील करा सकता है।

एफ 0 कल्पना के त्रिपाठी अपीलो का निस्तारण किया गया।